मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 9, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश हेतु राशि न दी जाने,

(2) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा में विद्युतीकरण न होने,

(3) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के बेनी सागर बांध में गेट फंस जाने से नहर में पानी न पहुंचने,

(4) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले के नरेला में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(5) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर-नौ गांव सड़क मार्ग के जर्जर होने,

(6) श्री अनार भाई वास्कले, सदस्य की खंडवा जिले के कलेक्टर कार्यालय में एक पत्र पर कार्रवाई न होने,

(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर जिले में रेडीमेड गारमेन्ट्स का व्यापार चौपट होने,

(8) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले की डिण्डोरी में नदी के पुल पर बना मार्ग जर्जर होने,

(9) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले में सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस न दिये जाने तथा

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की भोपाल शहर के गुलमोहर एवं शाहपुरा की सड़कों का मरम्मत कार्य ठीक न होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। तद्नुसार -

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत तथा परसराम मुद्गल, सदस्यगण ने मुरैना जिले की सिंहल बस्ती में डकैती की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण में श्री परसराम मुद्गल, सदस्य को नियमानुसार प्रश्न करने की अनुमति सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री परसराम मुद्गल, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण संख्या (1) में आसंदी से उन्हें श्री रामनिवास रावत, सदस्य से पहले प्रश्न करने देने की मांग की गई, जिसे नियमानुसार नहीं होने के कारण आसंदी द्वारा अनुमति नहीं देने सम्बन्धी व्यवस्था दी गई।

5. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री परसराम मुद्गल एवं श्रीमती इमरती देवी, सदस्यों के मध्य हुए विवाद पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया कि सदन में अभी श्री परसराम मुद्गल, सदस्य द्वारा श्रीमती इमरती देवी, सदस्य के विरूद्ध अनुचित टिप्पणी की है और अशालीन व्यवहार किया है, जिसके कारण सदन की उच्च परंपराएं आहत हुई हैं, अतः उनके व्यवहार की सदन द्वारा निंदा की जाए। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष महोदय से संबंधित सदस्य को चेतावनी देने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री परसराम मुद्गल, सदस्य के व्यवहार को सदन की उच्च परम्पराओं के अनुरूप न होने के कारण चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। श्री परसराम मुद्गल, सदस्य द्वारा अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया गया।

7. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने वन मंडलाधिकारी, शहडोल द्वारा कृषकों पर फर्जी प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने जनपद पंचायत, रीवा में पदस्थ उपयंत्री द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(2) श्री मोतीलाल तिवारी (जिला-सतना)
(3) श्री राजकुमार उरमलिया (जिला-रीवा)
(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी (जिला-रतलाम)
(5) राव राजकुमार सिंह यादव (जिला-अशोक नगर)
(6) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(7) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-सिंगरौली)
(8) श्री जुगुल किशोर (जिला-सतना)
(9) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (जिला-नीमच)
(10) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्रीमती साधना स्थापक (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(13) श्री आशाराम अहिरवार (जिला-दतिया)
(14) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था :

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा सदन में अनुचित छायाचित्र के प्रदर्शन पर अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया कि कल दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा सर संघचालक तथा लोकायुक्त के हेरफेर कर बनाये गये छायाचित्र का प्रदर्शन सदन में किया गया है, जो आपत्तिजनक है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि इस संबंध में सप्रमाण लिखित शिकायत प्राप्त होने पर वे तथ्यों का परीक्षण कर उचित कार्रवाई करेंगे।

12. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत, मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर, 2011 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों / मंत्रियों ने भी भाग लिया :-

(24) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(25) श्री मनोहर ऊटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास
(26) श्री सुखदेव पांसे
(27) श्री पारस सकलेचा
(28) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री

13. अध्यक्षीय व्यवस्था :
डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति अनुचित टिप्पणी के विलोपन सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति की गई अनुचित टिप्पणी को अध्यक्ष महोदय द्वारा विलोपित करने सम्बन्धी निर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय एवं सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्यों की समझाइश के अनुसरण में, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए खेद व्यक्त किया गया।

14. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

(29) श्री मदन कुशवाह
(30) श्री सुनील जायसवाल
(31) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री
(32) श्री ब्रजराज सिंह चौहान
(33) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री
(34) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(35) श्री लक्ष्मण तिवारी
(36) श्री विश्वास सारंग
(37) श्री आरिफ अकील

15. अध्यक्षीय व्यवस्था
श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा एक मंत्री के संबंध में अनुचित छायाचित्र प्रदर्शन कर व्यक्तिगत आरोप लगाने पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा एक मंत्री के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित अनुचित छायाचित्र को प्रदर्शित करते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाया गया। आसंदी द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 252 के परन्तुक का उद्धरण देते हुए कार्यवाही से उक्त अंशों को नियमानुसार विलोपित करने के निर्देश दिए गए।

16. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

(38) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री

अपराह्न 6.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 10, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 2011